# मध्यप्रदेश शासन
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

क्रमांक/2386/22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2007

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला– बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी,शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी,टीकमगढ़,उमरिया,छिंदवाड़ा,दतिया, हरदा, देवास,कटनी,पन्ना,दमोह,रीवा,गुना,अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत संपादित कार्यों का एक्जिट प्रोटोकाल से MIS प्रविष्टि कराये जाने की कार्यवाही में गति लाये जाने बाबत्।

सन्दर्भः– विभाग का पत्र क्रमांक /16648/22/वि–7/NREGS-MP/06 दिनांक 18.10.06

- विभाग का पत्र क्रमांक /1688/22/वि–7/NREGS-MP/07दिनांक 02.07.07
- विभाग का पत्र क्रमांक /क्रमांक/1911/22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 17 जुलाई, 07
- विभाग का पत्र क्रमांक /क्रमांक 2017/22/वि–7/NREGS-MP/07 दिनांक 25.07.2007
- विभाग का पत्र क्रमांक/क्रमांक2248/22/वि–7/NREGS-MP/07 दिनांक [illegible] अगस्त, 07

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अन्तर्गत प्रावधानित कार्यों [illegible] क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा मॉनीटरिंग और सृजित परिसंपत्तियों के स्थायी रिकार्ड संधारण के [illegible] प्रत्येक संपादित कार्य का एक्जिट प्रोटोकाल संधारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। [illegible] कार्यों का भौतिक रूप से पूर्ण कराया जाना पर्याप्त नहीं है, सभी कार्य वास्तविक रूप [illegible] NREGS के तहत [illegible] माने जावेंगे जब इनके अभिलेख [illegible] रूप से संधारित कराये जाकर कार्यों पर किये गये [illegible] [illegible] Software में [illegible] जावेगी तथा कार्य के पूर्ण होने की तिथि की प्रविष्टि [illegible]

पूर्ण कार्यों की भौतिक प्रगति – NREGS के प्रथम चरण के 18 जिलों द्वारा 100557 एवं द्वितीय [illegible] जिलों द्वारा 162 इस प्रकार 31 जिलों द्वारा कुल 100719 भौतिक रूप से पूर्ण कार्य प्रतिवेदित किये [illegible]

एक्जिट प्रोटोकाल की भौतिक प्रगति – जिलों द्वारा प्रतिवेदित पूर्ण कार्यों में से 79134 ([illegible]) एक्जिट प्रोटोकाल कराया जाना सूचित किया गया है।

पूर्ण कार्यों की नस्तियों का व्यवस्थित संधारण – योजनान्तर्गत संपादित कार्य की नस्ती तब [illegible] जावेगी जब विभाग के सन्दर्भित पत्र क्रमांक 1688 दिनांक 02.07.2007 के साथ संलग्न चेकलिस्ट के [illegible] दस्तावेज उसमें संधारित होवें। यद्यपि चेकलिस्ट में दर्शित 10 बिन्दुओं में से 07 बिन्दुओं [illegible] एक्जिट प्रोटोकाल की पंजी में ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर पर पूर्व में संधारित की गई होगी। मात्र 03 बिन्दु (बिन्दु क्र. 02, 05 एवं 06) की जानकारी सम्मिलित करने पर नस्ती व्यवस्थित रूप से संधारित हो जावेगी। चेकलिस्ट के इन 03 बिन्दुओं में प्रमुख रूप से कार्य पर किये गये व्यय के व्हाउचर्स/देयकों को अकुशल श्रम एवं सामग्री मद के व्यय अनुसार पृथक–पृथक कर नस्ती में व्यवस्थित रूप से रखा जाना है। नस्ती के अग्र भाग में चेकलिस्ट के अनुरूप इंडेक्स होना चाहिए। अब तक मात्र 17992 (17.89%) पूर्ण कार्यों की नस्तियां ही व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाना सूचित किया गया है।

...ne NREGS Software में प्रविष्टि – व्यवस्थित नस्ती की मूलप्रति कार्य एजेन्सी (ग्राम पंचायत/लाईन ...र्टमेन्ट) एवं उसकी छायाप्रति संबंधित जनपद को MIS में प्रविष्टि हेतु उपलब्ध करायी जाना है जिससे ...पद स्तर पर नियुक्त आउटसोर्स एजेन्सी Offline NREGS Software में प्रविष्टि कर सके। कार्य एजेन्सी लाईन ...र्टमेन्ट होने की स्थिति में मूल नस्ती की 02 छाया प्रतियां कराई जाकर एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत तथा ...री छायाप्रति संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जाना हैं। जिला एवं जनपद स्तर पर नामांकित ...डल अधिकारी उन्हें दिये गये दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करें जिससे MIS प्रविष्टि में किसी प्रकार की ...टि की गुंजाइश न रहे। अब तक भारत सरकार की वेब साइट www.nrega.nic.in पर STATE WISE ...MBER OF MUSTER ROLLS FILLED में मात्र 643 कार्य पूर्ण होना प्रदर्शित हो रहे हैं।

उक्त संबंध में 20 अगस्त 2007 की स्थिति में जिलों द्वारा सूचित भौतिक प्रगति की जानकारी ...े अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ जिलों द्वारा अभी तक एक भी नस्ती निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार ...व्यवस्थित नही कराई गई हैं, यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक हैं।

अतः NREG स्कीम के अंतर्गत पूर्ण कराये गये कार्यो के एक्जिट प्रोटोकाल से लेकर MIS ...प्रविष्टि की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु पर्याप्त ध्यान दिया जावें एवं इस कार्य की नियमित समीक्षा की ...जावें।

(प्रदीप भार्गव) 21.8.07
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

...मांक/ 2387 /22/वि–7/NREGS-MP/2007

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 2007

प्रतिलिपि :

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला– बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार/मनावर झाबुआ क्रमांक – 1/2 खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योंपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी, टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)
4. श्री उवैस अहमद SYSTEM ANALYST मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 2501 / MIS/NREGS-MP / 2007 भोपाल, 25 / 8 / 2007

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
   जिला–बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, डिण्डोरी एवं
   मंडला, सिवनी (मध्यप्रदेश)

विषयः– नवीन निविदा के माध्यम से आऊट सोर्स एजेन्सी का निर्धारण।

संदर्भः– पत्र क्र. 1404 / एम.आई.एस / 2007 भोपाल, दिनांक 11.6.07 एवं ईमेल दिनांक 07 / 08 / 2007

आपके जिले में एम.आई.एस कार्य हेतु नियुक्त आऊट सोर्स एजेन्सी का प्रथम एवं द्वितीय कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देश दिये गये थे कि जिन जनपदो में आऊट सोर्स एजेन्सी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है वहां पर नवीन निविदा के माध्यम से आऊट सोर्स एजेन्सी का निर्धारण किया जाए।

अतः कृपया यह सुनिश्चित कर लें की किसी भी जनपद में एजेन्सी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है व नवीन निविदा के माध्यम से एजेन्सी का चयन किया जाना है। अतः कृपया तत्काल जनपद [illegible] एन.आई.टी. (निविदा आमंत्रण सूचना) जारी की जाये तथा नवीन निविदा के माध्यम से एम.आई.एस आऊट सोर्स एजेन्सी का निर्धारण किया जाए एवं की गई कार्यवाही से एक सप्ताह में मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

2501
25/8/07

# मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भोपाल

क्रमांक 2965 / सक / NREGS-MP / 2007 भोपाल, दिनांक 28, सितंबर, 2007

प्रति,

**कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त)**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला– बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, मंडला, रतलाम,
सीधी, सिवनी,शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी,टीकमगढ़,उमरिया,छिदवाड़ा,दतिया, हरदा,
देवास,कटनी,पन्ना,दमोह,रीवा,गुना,अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ (मध्य प्रदेश)

विषय:– NREGS के अन्तर्गत पूर्ण कार्यो की व्यवस्थित नस्तियों की MIS में प्रविष्टि करने बाबत्।
संदर्भ : – 1. विभाग का ज्ञाप क्रमांक / 1689 / 22 / वि–7 / NREGS-MP / 07 भोपाल, दिनांक 02 / 07 / 2007।
2. क्रमांक /2878 / 22 / वि–7 / NREGS-MP / 07 भोपाल, दिनांक 22 / 09 / 2007

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत पूर्ण कराये गये कार्यो की नस्तियों विभाग का पत्र क्रमांक 1688 दिनांक 02 / 07 / 2007 के साथ संलग्न चेकलिस्ट के अनुरूप व्यवस्थित रूप सत्यापित कर एवं सहायक यंत्री / प्रबंधक से सत्यापित नस्तियों को जनपद स्तर पर MIS प्रविष्टि हेतु नि Outsource एजेन्सी को सौपे जाने के निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये है। इसके बावजूद भी पूर्ण कार्यो MIS प्रविष्टि की गति काफी धीमी है तथा किन्ही – किन्ही जनपद पंचायतों में संधारित नस्तियाँ Outsour एजेन्सी को प्रविष्टि हेतु उपलब्ध नही कराई गई है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है।

पूर्ण कार्यो की व्यवस्थित एवं सत्यापित नस्तियों की MIS में प्रविष्टि 15 अक्टूबर, 2007 तक पूर्ण कराने निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से अमल करें : –

1. Outsource एजेन्सी को व्यवस्थित एवं सत्यापित नस्तियां तत्काल उपलब्ध करावें जिससे MIS में प्रविष्टि कर सके एवं यह ध्यान रखे कि प्रतिदिन कम से कम 10–15 कार्यो की पूर्ण से MIS में प्रविष्टि हो भले ही एजेन्सी को देर तक कार्य करना पडे।
2. जिन जनपद पंचायतों में Outsource एजेन्सी के अनुबंध की अवधि पूर्ण हो गई एवं नई एजेन्सी का निर्धारण नही हुआ है वहां नवीन एजेन्सी के कार्य पर आने तक Daily Wages Computer Operator की सेवाऐं लेकर कार्य कराया जावें।
3. जिन जनपद पंचायतों में Outsource एजेन्सी कार्य नही कर रही है अथवा उसके द्वारा किया ग कार्य संतोषप्रद नही है, ऐसी संस्था के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो के अनुरूप कार्यवाही करें। नवीन एजेन्सी के चयन होने तक Daily Wagees पर Computer Operator से कार्य करा जावे।

(24)

MIS प्रविष्टि का कार्य जनपद स्तर पर पदस्थ सहायक यंत्री की देखरेख में संपादित कराया जावे, जिस Outsorce एजेन्सी को MIS प्रविष्टि में कठिनाई आने पर उसका तत्काल निराकरण हो सके। दिनांक 29.09.20 से Outsource संस्था द्वारा पूर्ण कार्यो की प्रविष्टि की प्रतिदिन की प्रगति की जानकारी रखी जावे एवं एवि प्रोटोकाल की साप्ताहिक प्रगति के साथ पूर्ण कार्यो की MIS प्रविष्टि की जानकारी जिला मुख्यालय को भे जावे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

(अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार)

(ए.के. चौधरी)
मुख्य अभियंता,
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी प्ररिषद्

क्रमांक /2966/तक/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 28, सितंबर, 2007

प्रतिलिपि :—

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्की — मध्यप्रदेश।

जिला— बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी टीकमगढ़, उमरिया, छिन्दवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,

जिला— बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार/मनावर झाबुआ क्रमांक — 1/2 खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी टीकमगढ़ उमरिया, छिन्दवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

(ए.के. चौधरी)
मुख्य अभियंता,
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

# मध्य प्रदेश शासन,
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक /2986/22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 29/09/2007

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला–बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी, टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

विषय:– ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की मानीटरिंग के लिए MIS प्रविष्टि हेतु आउटसोर्स एजेन्सी से किये गये अनुबंध के संबंध में।

उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था कि आउटसोर्स एजेन्सी के साथ किये गये अनुबंध की समय–समय पर समीक्षा की जावे। जिन पंचायतों में आउटसोर्स एजेन्सी की अनुबंधित पूर्ण हो गई है वहां आगामी अवधि के लिए नवीन निविदाएं आमंत्रित कर एजेन्सियों का निर्धारण किया जावे।

विभाग के निर्देश प्राप्त होने पर जिलों द्वारा पुरानी एजेन्सी से अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की गई है, परन्तु कुछ प्रकरणों में संबंधित एजेन्सी की अर्नेस्ट मनी (अमानत राशि) नहीं लौटाई गई। जबकि ऐसे प्रकरणों में नवीन निविदाएं आमंत्रित न करते हुए अगले वर्ष हेतु पुरानी एजेन्सी की समयावधि बढ़ा दी गई थी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि यदि आउटसोर्स एजेन्सी के द्वारा निर्धारित अनुबंधित अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है, तो उस एजेन्सी की अर्नेस्ट मनी राजसात न करते हुए संबंधित एजेन्सी को लौटाई जावे, भले ही उसके साथ अब अनुबंध समाप्त कर दिया गया हो।

(प्रदीप मार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 29/09/2007

पृ. क्र./2986/22/वि–7/NREGS-MP/2007
प्रतिलिपि

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला– बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार/मनावर झाबुआ क्रमांक – 1/2 खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

(प्रदीप मार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

/MIS/NREGS-MP/2007 भोपाल, 4/10/2007

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त)**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
जिला–बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, डिण्डौरी,
धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी,
सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं उमरिया,
छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी पन्ना, दमोह, रीवा,
गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़, (मध्यप्रदेश)

विषयः **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अन्तर्गत चयनित MIS एजेन्सियों से संबंधित अन्य कार्य कराने हेतु।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अन्तर्गत जनपद स्तर पर चयनित MIS आऊटसोर्स एजेन्सियों से विभाग की अन्य संबंधित योजनाओं के MIS कार्य भी कराया जाय। कृपया विभागीय निर्णय से समस्त आऊटसोर्स एजेन्सियों को अवगत करावे।

ऐसी आऊटसोर्स एजेन्सी जिनकी अनुबंधित समयावधि पूर्ण होने जा रही है वहाँ उक्तानुसार प्रावधान विज्ञप्ति प्रकाशन में रखा जावे। अतः उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

1.10.07

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 3077-B/MIS/NREGS-MP/2007 भोपाल, 4/10/2007

प्रतिलिपि : –

संभाग आयुक्त संभाग, ग्वालियर, इन्दौर, रीवा, सागर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर एवं मुरैना (चम्बल) की ओर सूचनार्थ।

**(प्रदीप भार्गव)**
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

MIS 06

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

क्रमांक/ 2058 /22/वि–7/NREGS-MP/2007

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007

प्रति,

- कलेक्टर एव जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यकम समन्वयक,
- कार्यकम अधिकारी, जनपद पंचायत

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला– बंड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी,टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास,कटनी,पन्ना,दमोह,रीवा,गुना,अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत संपादित कार्यो का एक्जिट प्रोटोकाल से MIS प्रविष्टि कराये जाने की कार्यवाही में गति लाये जाने बाबत्।

सन्दर्भः– विभाग का पत्र क्रमांक /16648/22/वि–7/NREGS-MP/06 दिनांक 18.10.06

- विभाग का पत्र क्रमांक /1688/22/वि–7/NREGS-MP/07 दिनांक 02.07.07
- विभाग का पत्र क्रमांक 1911/22/वि–7/NREGS-MP/2007 दिनांक 17.07.07
- विभाग का पत्र क्रमांक 2017/22/वि–7/NREGS-MP/07 दिनांक 25.07.07
- विभाग का पत्र क्रमांक 2248/22/वि–7/NREGS-MP/07 दिनांक 08.08.07
- विभाग का पत्र क्रमांक /2386/22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, 22.08.2007।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अन्तर्गत प्रावधानित कार्यो के क्रियान्वयन मे पारदर्शिता तथा मॉनीटरिंग और सृजित परिसंपत्तियों के स्थायी रिकार्ड संधारण के लिए प्रत्येक संपादित कार्य का एक्जिट प्रोटोकाल संधारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। NREGS के तहत संपादित कराये गये कार्यो का भौतिक रूप से पूर्ण कराया जाना पर्याप्त नहीं है, सभी कार्य वास्तविक रूप से तभी पूर्ण माने जायेगे जब इनके अभिलेख व्यस्थित रूप से संधारित कराये जाकर कार्यो पर किये गये वास्तविक व्यय की प्रविष्टि offline NREGS Software में कराई जावेगी तथा कार्य के पूर्ण होने की तिथि की घोषणा करा दी जायेगी।

पूर्ण कार्यो की भौतिक प्रगति – NREGS के प्रथम चरण के 18 जिलों द्वारा 111497 एवं द्वितीय चरण के 13 जिलों द्वारा 716 इस प्रकार 31 जिलों द्वारा कुल 112213 भौतिक रूप से पूर्ण कार्य प्रतिवेदित किये गये हैं।

एक्जिट प्रोटोकाल की भौतिक प्रगति – जिलों द्वारा प्रतिवेदित पूर्ण कार्यो में से 91898 (81.9%) कार्यो का एक्जिट प्रोटोकाल कराया जाना सूचित किया गया है।

पूर्ण कार्यो की नस्तियों का व्यवस्थित संधारण – योजनान्तर्गत संपादित कार्य की नस्ती तब व्यवस्थित मानी जावेगी जब विभाग के सन्दर्भित पत्र क्रमांक 1688 दिनांक 02.07.2007 के साथ संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार समस्त दस्तावेज उसमें संधारित होवें। यद्यपि चेकलिस्ट में दर्शित 10 बिन्दुओं में से 07 बिन्दुओं की जानकारी एक्जिट प्रोटोकाल की पंजी में ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर पर पूर्व में संधारित की गई होगी। मात्र 03 (बिन्दु क्र. 02, 05 एवं 06) की जानकारी सम्मिलित करने पर नस्ती व्यवस्थित रूप से संधारित हो

(29)

... के अनुरूप इंडेक्स होना चाहिए। ... व्यवस्थित रूप
कार्यों की नस्तियां ही व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाना सूचित किया गया है। अब तक मात्र ...

Offline NREGS Software में प्रविष्टि – व्यवस्थित नस्ती की मूलप्रति कार्य एजेन्सी (ग्राम ... डिपार्टमेन्ट) एवं उसकी छायाप्रति संबंधित जनपद को MIS में प्रविष्टि हेतु उपलब्ध करायी ... जनपद स्तर पर नियुक्त आउटसोर्स एजेन्सी Offline NREGS Software में प्रविष्टि कर सके।कार्य ... डिपार्टमेन्ट होने की स्थिति में मूल नस्ती की 02 छाया प्रतियां कराई जाकर एक प्रति संबंधित ... तथा दूसरी छायाप्रति संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जाना हैं। जिला एवं जन... नामांकित नोड्ल अधिकारी उन्हें दिये गये दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करें जिससे MIS किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे। अब तक भारत सरकार की वेब साइट www.nrega... STATE WISE NUMBER OF MUSTER ROLLS FILLED में मात्र 7327 कार्य पूर्ण होना प्रदर्शित हो रहे ...

31 अक्टूबर, 2007 की स्थिति में जिलों द्वारा सूचित भौतिक प्रगति की जान... अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ जिलों में नस्ती व्यवस्थित करने की प्रक्रिया काफी धीमी है एवं जि... द्वारा नस्तियां व्यवस्थित करा ली है। उनमें MIS प्रविष्टि की भौतिक प्रगति काफी कम हैं। जिस... परिलक्षित हो रहा है कि नस्तियां निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार व्यवस्थित नही कराई गई हैं, यह अत्यंत आपत्तिजनक हैं।

अतः NREG स्कीम के अंतर्गत पूर्ण कराये गये कार्यो के एक्जिट प्रोटोकाल से लेकर ... प्रविष्टि की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु पर्याप्त ध्यान दिया जावें एवं इस कार्य की नियमित समीक्षा जावें।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 3559 /22/वि–7/NREGS-MP/2007
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला – बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार/मनावर झाबुआ क्रमांक – 1/2 खरगोन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)
4. श्री उवैस अहमद, SYSTEM ANALYST मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल,

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Executive Engineer\M.K.Jain.doc

163

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल

4067
क्र. Email/22/MIS/NREGS-MP/2007

22 11
भोपाल, 19/11/2007

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
जिला–बड़वानी, बालाघाट, छतरपुर, डिण्डौरी,
धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी,
सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं उमरिया,
छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी पन्ना, दमोह, रीवा,
गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्यप्रदेश)

विषयः– एम.आईएस. की संभागीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही विवरण।

अपर मुख्य सचिव महोद्य के निर्देशो के क्रम में एम.आई.एस कार्यो की प्रगति की संभागीय समीक्षा के अंतर्गत इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, व ग्वालियर संभाग की योजनान्तर्गत एम.आई.एस. कार्यो की माह अक्टू.07 में समीक्षा की गई।

समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु सामने आये है जिनके कारण पूर्ण कार्यो के एम.आई.एस. की प्रगति बाधित हो रही है :–

1. नस्तीया चैकलिस्ट अनुसार संधारित नहीं है अर्थात् वास्तविक व्यय अनुसार समस्त व्हाउचर, मस्टर रोल व नस्तीयो पर नहीं है।
2. कार्यो को पूर्णता होने के बावजूद अधिकांश नस्ति में पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं है। जिससे कार्यो की पूर्णता होने की दिनांक अंकित नहीं हो पा रही है।
3. एजेन्सीयो के पुनः निर्धारण में देरी के कारण कार्य के प्रगति धीमी हुई है।
4. पूर्ण कार्यो का बैकलाग हेतु कोई साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित नही किया गया है। एवं अनुपातिक प्रगति न देने पर एजेन्सीयो पर कोई कार्यवाही नही की जा रहो है।

अतः वर्णित बिन्दुओं पर को दृष्टिगत रखते हुए है सुनिश्चित किया जावें कि :–

1. प्रत्येक जनपद पर कम से कम हितग्राही मूलक– 150 अथवा सामूहिक 70 कार्य प्रति सप्ताह की नस्तियां एम.आई.एस. फीडिंग हेतु उपलब्ध कराई जावे एवं उसको पावती एजेन्सी के प्रतिनिधि से प्राप्त की जाय, तथा प्रत्येक सप्ताह लक्ष्य अनुसार सौपी गई फाईले फीड कराई जाय। डाटा कलेक्शन एवं नस्तीयो का संधारण विशेष मुहिम के तहत किया जावे, एवं प्रत्येक पूर्ण कार्या की नस्ती पर वास्तविक व्यय अनुसार मस्टर रोल, सामग्री के व्हाउचर व पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से हो, तथा जनपद पर पूर्ण कार्यो का बैकलाग का एम.आई.एस माह नवम्बर 07 तक पूरा कर लिया जाय। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सहायक यंत्री जनपद पर निर्देशानुसार सत्यापित नस्तियो की उपलब्धता कराना सुनिश्चित करें।

क्योंकि द्वितीय चरण के अधिकांश जिलो में पूर्ण कार्यो का बैकलाग नहीं है अतः संचालित कार्यो व पूर्ण कार्यो का बैकलाग 30 नवम्बर तक पूरा किया जावे तथा अगर एजेन्सी द्वारा अनुपातिक प्रगति नहीं दी जाती है तो उसका अनुबंध समाप्त कर नवीन एन.आई.टी. जारी की जावे।

3. जिन स्थानो पर एजेन्सी का पुन निर्धारण नहीं हुआ है, अथवा एजेन्सी का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है , वहा पर विभाग के निर्देश अनुसार नवीन एजेन्सी निर्धारण तक दैनिक वेतन पर कम्प्यूटर आपरेटर्स लगाकर, कार्य पूरा किया कराया जावे।

4. फीडेट डाटा में त्रृटियो न हो उसे सुनिश्चित कराने हेतु विभाग के निर्देश क्र 1333 दिनांक 4.6.07 अनुसार डाटा वेलिडेशन कार्य समय पर किया जावे।

5. जनपदो पर विद्युत कटोत्री के कारण एम.आई.एस. फीडिंग कार्य प्रभावित नही हो , इस हेतु आवश्यकता अनुसार तत्काल जनरेटर्स की व्यवस्था जनपद पंचायत द्वारा की जावे।

6. प्रत्येक सप्ताह की प्रगति से मुख्यालय को rddmp_mis@yahoo.com एवं रूरल सॉफ्ट पर अवगत कराया जावे।

7. एजेन्सी एवं विभागीय प्रतिनिधि जो समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। उपस्थित प्रतिनिधियों की सूची संलग्न है।

8. जिन जनपदो पर एजेन्सी निर्धारण नहीं हुआ है अथवा कार्यरत एजेन्सी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है वहा पर तत्काल एन.आई.टी के माध्यम से एजेन्सी निर्धारित की जाय।

उपरोक्त बिन्दुओ पर पालन प्रतिवेदन दिनांक 20.11.07 तक मुख्यालय को भेजा जावे।

19.11

( ए.के. सिंह )
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

**मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**
[illegible] नर्मदा भवन, [illegible] तल,
अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

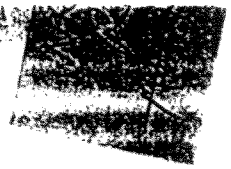

क्र. [illegible] /NREGS-MP/MIS/2008 भोपाल, दिनांक 7 / 7 / 2008

प्रति,

जिला कार्यक्रम समन्वयक/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला [illegible] बालाघाट, बड़वानी, वैतूल, छतरपुर, धार, डिण्डोरी, खण्डवा, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, गुना, हरदा, कटनी, पन्ना, राजगढ़, रीवा, भिण्ड, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन एवं विदिशा (48 जिले) मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत एम.आइ.एस. की समीक्षा बैठक बाबत्।

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि जनपदो पर एम.आई.एस. कार्य की समीक्षा हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम अनुसार परिषद मुख्यालय, भोपाल में बैठक आयोजित की जावेगी ।

| स. क्र. | जिला | दिनांक |
|---|---|---|
| 01 | वैतूल, धार, खण्डवा, झाबुआ, खरगौन,,, शहडोल, टीकमगढ़, सीधी | 15/07/08 को प्रातः 11:00 बजे |
| | बालाघाट, डिण्डोरी, मण्डला ,उमरिया, छतरपुर, श्योपुर, शिवपुरी, बड़वानी, सिवनी, सतना | 15/07/08 को 2:30 बजे से |
| 02 | छिन्दबाड़ा, दमोह, हरदा, कटनी, पन्ना, राजगढ़, | 16/07/08 को प्रातः 11:00 बजे |
| | अशोकनगर, गुना, बुरहानपुर, रीवा, दतिया, देवास, अनूपपुर | 16/07/08 को प्रातः 2:30 बजे |
| 03 | सीहोर,, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद, इन्दौर, विदिशा | 17/07/08 प्रातः 11:00 बजे |
| | नरसिंहपुर, नीमच, भिण्ड मुरैना, रतलाम, सागर, शाजापुर, उज्जैन जबलपुर, मन्दसौर, एवं ग्वालियर, | 17/07/08 को प्रातः 2:30 बजे |

अतः उक्त बैठक में जिलें के एम.आई.एस. प्रभारी, तथा जनपदों पर वर्तमान में कार्यरत ऐसी एजेन्सी जिन्होने मार्च 2008 तक कार्य किया हो एवं अथवा 2008–09 के लिए चिन्हित किया गया हो के प्रतिनिधि अनिवार्य रुप से सम्मिलित होवे। बैठक में संलग्न एजेण्डा बिन्दुओं पर जनपदवार समीक्षा की जावेगी। अतः पूर्ण सत्यापित जानकारी सहित संबंधितों को उपस्थित होने का निर्देश देने का कष्ट करें।

6.7.08

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

MIS

AKS-Letter08

एजेण्डा बिन्दु :

**बैठक दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 08 हेतु**

बैकलाग डाटा इन्ट्री एवं एजेन्सीयों का विवरण एवं उनको किया गया भुगतान :– जनपदवार 2006–07 एवं 2007–08 के योजनातर्गत प्रतिवेदित पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्य तथा सृजित मानव दिवस एवं विभिन्न मदो पर व्यय का एम.आई.एस आफलाइन एवं आनलाइन स्थिति। लाइन विभाग एवं ग्राम पंचायतवार

1. वर्ष 2007 एवं 2008 में कार्यरत /चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा में प्रस्तुत तकनीकी योग्यता व अनुभव का विवरण/प्रमाणपत्र एवं एम.आईएस. एजेन्सी चयन हेतु आमंत्रित गई तकनीकी एवं वित्तीय तुलनात्मक विवरण की जानकारी।
2. एजेन्सी के आपरेटर्स की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की जानकारी
3. एजेन्सी द्वारा जनपदो को उपलब्ध कराये गये संसाधनों की जानकारी (कम्प्यूटर्स/आपरेटर्स/अन्य)
4. एजेन्सी के विगत तीन सालों की आडिट रिपोर्ट।
5. एजेन्सीवार की माहवार कार्य प्रगति एवं माहवार कार्य के विरुद्ध किये गए भुगतान। एजेन्सीयों द्वारा समयसीमा में कार्य पूर्ण न करने पर जिला/जनपदों द्वारा की गई कार्यवाही
6. एजेन्सीयो का पुनः निर्धारण हेतु की गई कार्यवाही। एजेन्सीयों द्वारा निविदा विभाग की अन्य योजनाओं की डाटा इन्ट्री की प्रगति ।
7. जनपदो पर कार्यरत नोडल अधिकारीयों की जानकारी एंव एम.आई.एस कियान्वयन हेतु तैयार की गई योजना। जनपदो पर इन्टरनेट एवं विद्युत पावर बैकअप की उपलब्धता तथा एन.आरज.जी.ए.साफ्टवयर हेतु उपयोग किये जा रहे कॅम्प्यूटर्स
8. प्रशिक्षण साफटवेयर में आनलाइन व आफलाइन डाटा इन्ट्री की स्थिति
9. 2008–09 में जून तक एम.आई.एस. की प्रगति एवं सित.08 से एम.आई.एस. से एम.पी.आर तैयार करने हेतु कार्ययोजना।
10. जनपदों के सिस्टम पर अद्यतन एन्टीवायरस साफ्टवेयर की जानकारी

**बैठक दिनांक 17 जुलाई 08 हेतु**

1. 2008–09 में जून तक एम.आई.एस. की प्रगति एवं सित.08 से एम.आई.एस. से एम.पी.आर तैयार करने हेतु कार्ययोजना एवं जनपदों साफ्टवेयर कियान्वयन की वर्तमान स्थिति।
2. एजेन्सी के आपरेटर्स की शैक्षणिक योग्यता एव अनुभव की जानकारी
3. एजेन्सी द्वारा जनपदो को उपलब्ध कराये गये संसाधनों की जानकारी (कम्प्यूटर्स/आपरेटर्स/अन्य)
4. एजेन्सी के विगत तीन सालों की आडिट रिपोर्ट।
5. एजेन्सीयों द्वारा विभाग की अन्य योजनाओं की डाटा इन्ट्री की प्रगति ।
6. जनपदों पर कार्यरत नोडल अधिकारीयों की जानकारी एंव एम.आई.एस कियान्वयन हेतु तैयार की गई योजना।
7. जनपदो पर इन्टरनेट एवं विद्युत पावर बैकअप की उपलब्धता
8. जनपदों के सिस्टम पर अद्यतन एन्टीवायरस साफ्टवेयर की जानकारी
9. प्रशिक्षण साफटवेयर में आनलाइन व आफलाइन डाटा इन्ट्री की स्थिति

(उवैस अहमद) 14/7/2008
सिस्टम एनालिस्ट एवं
प्रभारीअधिकारी,एम.आई.एस.

AKS-Letter-08

MIS

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - मध्य प्रदेश
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
C- Wing, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

क्रं. 9537 /एम.आई.एस. / 2008 भोपाल दिनांक 26.09.2008

**अत्यंत महत्वपूर्ण**

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत / कार्यक्रम अधिकारी

(समस्त)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में एम.आई.एस. इन्ट्री के संबंध में निर्देश।

संदर्भः– विभाग एवं मुख्यालय के निर्देश दिनांक 15.01.2007 , दिनांक 31.01.07, दि. 04.06.07 दि. 20.06.07 दि. 25.06.07 दि. 02.07.07 दि. 08.08.07 दि. 16.08.08 दि. 22.08.07 दि. 28.09.07 दि. 04.10.07 दि. 31.10.07

पूर्व के संदर्भित निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये नवीन निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं :–

1. भारत सरकार के निर्देश दिनांक 02 अप्रैल 2008 के परिपालन में माह सितम्बर 2008 से एम.आई.एस. सॉफटवेयर के माध्यम से एम.पी.आर. तैयार किया जाना है। मुख्यालय पर आयोजित बैठकों एवं विडियों कान्फ्रसिंग के माध्यम से निरंतर आपको इस संबंध में अवगत कराया गया है।

पूर्व में मुख्यालय द्वारा पूर्ण कार्यो का नस्ती संधारण कर एम.आई.एस. प्राथमिकता क्रम से करने के निर्देश थे। उपंरोक्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा एम.आई.एस. से एन.पी.आर. तैयार करनें के निर्देशों के कम मे परिवर्तित किया जा रहा है :–

1.1. प्रथम चरण के 18 जिलों में वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के समस्त पूर्ण कार्य व व्यय तथा वर्ष 2008–09 समस्त कार्यो / प्रशासनिक व्यय के बैकलाग डाटा को एम.आई.एस में फीड किया जाना है।

1.2. द्वितीय चरण के 13 जिलों में 2007–08 के पूर्ण कार्य एवं 2008–09 में समस्त कार्यो एवं प्रशासनिक व्यय एम.आई.एस. में फीड किया जाना है।

1.3. समस्त 48 जिलों में 2008–09 के समस्त कार्यो (प्रगतिरत एवं पूर्ण) तथा उन पर व्यय, प्रशासनिक व्यय, विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं कियान्वयन एजेन्सीयों को जारी व आहरित राशि, प्रत्येक मजदूर के बैंक / पोस्ट ऑफिस के खातों की जानकारी व प्राप्त शिकायतों का एम.आई.एस. मे फीड किया जाना है।

1.4. प्रथम एवं द्वितीय चरण के जिलों में हो सकता है कि बैकलाग अधिक हो। अतः एम.आई.एस. की व्यवस्था इस प्रकार की जावे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के साथ साथ ही बैकलाग (2006–07 एवं 2007–08) डाटा फीडिग साथ ही साथ हो। यह ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में चालू वित्तीय वर्ष का कार्य प्रभावित न हो। अतः एम.आई.एस. में प्रथम प्राथमिकता 2008–09 को देना है एंव 2008–09 के प्रत्येक माह की इन्ट्री उसी माह में पूरी हो यह सुनिश्चित करना है।

1.5. दिनांक 28.08.2008 को मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 30 सितम्बर 2008 तक वि. वर्ष 2008-09 की प्रविष्टि पूरी करने के बाद चालू वित्तीय वर्ष की प्राथमिकता के साथ साथ वि. वर्ष 2007-08 तक का बैकलाग निर्धारित समय सीमा में पूरा करना है।

2.

2.1. प्रथम चरण के जिलों में 2006-07 की बैकलाग की समय सीमा नवंबर 2008 तथा 2007-08 समय सीमा दिसंबर 08 निर्धारित की जाती है। एम.आई.एस. मे दर्ज जानकारी को ही जिलें अंतिम वास्तविक प्रगति मान्य किया जावेगा। तथा उक्त अवधि के बाद वर्ष 2006-07 एवं 2007 की अपलोडिग बंद कर दी जावेगी।

यदि उपरोक्त अवधि तक बैकलाग पूर्ण नहीं होता तो जिला कार्यक्रम समन्वयक स्थान स्तर पर कियान्वयन एजेंसी के (जैसे ग्राम पंचायत व लाइन विभाग) विरूद्ध वसूली एवं दाण्डिक कार्यव जैसे एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही करें।

2.2. द्वितीय चरण के जिलों का बैकलाग 2007-08 , की समय सीमा माह नवबंर 2008 तक निर्धारि की जाती है।

2.3. तृतीय चरण के जिलों के लिये समय सीमा माह अक्टूबर 2008 निर्धारित की जाती है।

3. मुख्यालय स्तर पर नियमित एम.आई.एस. की समीक्षा में यह भी देखा गया है कि ऐसी एजेन्सी का चय ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। अधिकांश एजेन्सी अनुपातिक प्रगति नहीं दे रही हैं एवं कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं। जिला/जनपदों द्वारा खराब प्रगति के बाबजूद उनके अनुबंध समाप्त नही किये जा रह है। जिला स्तर पर एजेंसी की कार्यक्षमता एवं प्रगति का मासिक आकलन करने तथा अनुपातिक क आंकलन निम्नानुसार किया जाये :-

**एजेन्सी की प्रगति का मूल्यांकन/आंकलन एवं कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2008-09**

एजेंसी की प्रगति का मासिक मूल्यांकन निम्नानुसार किया जावे:-

उक्त आंकलन माह अंतर्गत तक की आनलाईन प्रगति के आधार पर होगा, एजेंसी की प्रगति का मूल्यांकन निम्नलिखित विहित प्रकिया से आवंटित अंको से किया जावेगा।

| क्र. | मूल्यांकन के बिन्दु (जनपदवार प्रगति) | लक्ष्य के विरूद्ध 100 प्रति. डाटा इन्ट्री करने पर आवंटित किये जाने वाले अंक | डाटा इन्ट्री करने की आवंटित किये जाने वाले अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | माह में जनपद पर सृजित मानव दिवस | 65 | अनुपातिक प्रगति के आधार पर अधिकतम आवंटित अंको के विरूद्ध |
| 2 | सामग्री मद पर व्यय | 8 | तदैव |
| 3 | ग्राम पंचायतों व लाइन विभागों जारी आवंटन राशि व आहरित राशि का विवरण | 5 | तदैव |
| 4 | प्रशासनिक व्यय | 5 | तदैव |
| 5 | ग्राम पंचायतों की कैशबुक डाटा | 8 | तदैव |
| 6 | जॉबकार्ड धारियों के खोले गये खातों की जानकारी | 5 | तदैव |
| 7 | पूर्ण कार्यों के समस्त व्यय व पूर्णता प्रमाण पत्र | 4 | तदैव |

उदाहरण :— माह सितम्बर2008 की प्रगति के विरूद्ध एम.आई.एस. डाटा इन्ट्री की प्रगति का आंकलन

| क्र. | | प्रगति जिसकी डाटा इन्ट्री की जाना है | डाटा इन्ट्री | प्रगति के विरूद्ध डाटा इन्ट्री के आवंटित अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | माह में ज़नपद पर सृजित मानव दिवस लाख में | 1 | 0.5 | 32.5 |
| 2 | सामग्री मद पर व्यय राशि लाख में | 1 | 1 | 8 |
| 3 | ग्राम पंचायतों व लाइन विभागों जारी आवंटन राशि व आहरित राशि का विवरण राशि लाख में | 10 | 5 | 2.5 |
| 4 | प्रशासनिक व्यय राशि लाख में | 1 | 0.2 | 1 |
| 5 | ग्राम पंचायतों की कैशबुक डाटा | 200 इन्ट्री | 100 इन्ट्री | 4 |
| 6 | जॉबकार्ड धारियों के खाले गये खातों की जानकारी | 10000 | 5000 | 2.5 |
| 7 | पूर्ण कार्यों के समस्त व्यय व पूर्णता प्रमाण पत्र | 500 | 250 | 2 |
| | कुल प्राप्ताकें की गणना | | | 52.5 |

उपरोक्तानुसार एजेंसियों द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध की गई डाटा इन्ट्री के अंक का आवंटन किया जाय

3.1 **एजेंसियों का मासिक भुगतान:—** एजेंसियों को मासिक भुगतान प्राप्ताकों के आधार पर ही किया जाये। एजेसी द्वारा प्रत्येक माह के लक्ष्य के विरूद्ध कम से कम 80 अंक अगले माह की अधिकतम 15 दिवस तक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर उक्त अवधि में 80 अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो एजेंसी के विरूद्ध कटौती नियम लागू होगा। एजेंसी का भुगतान प्राप्तांको के आधार पर अनुपातिक रूप से प्रत्येक माह में अनिवार्य रूप से किया जाय। विलम्ब से भुगतान करने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही को जायेगी।

3.2 **कटौती नियम :—** कम से कम मासिक अनुबंधित राशि का 10 प्रति. प्रति सप्ताह विलम्ब अवधि तक।

3.3 **मूल्यांकन व अनुबंध समाप्ति व कालीसूचीबद्ध करने की प्रकिया :—** प्रत्येक माह की इन्ट्री उसी माह में करनी होगी। प्रत्येक माह कम कम से कम 80 अंक प्राप्त न करने की स्थिति में डाटा इन्ट्री में एक माह से अधिक विलम्ब होने पर एजेन्सी को स्पष्टीकरण जारी किया जाय। 08 सप्ताह से अधिक होने पर नई एजेंसी से अनुबंध करने हेतु निविदा की विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जाय। परन्तु नवीन एजेंसी से अनुबंध करने से पूर्व उल्लेखित मूल्यांकन विधि अनुसार एजेंसी द्वारा विगत 2 माह में प्राप्तांकों की जानकारी व एजेंसी का स्पष्टीकरण जबाब सहित परिषद मुख्यालय में भेजी जाय तथा मुख्यालय की अनुमति उपरांत ही नवीन एजेसी से अनुबंध किया जाय। अनुमति के उपरांत प्रकिया अनुसार चयनित नवीन एजेंसी से अधिकतम 15 दिवस में अनुबंध किया जाय। अगर एजेंसी से अनुबंध करने में विलम्ब होता है तो विभागीय अथवा दैनिक वेतन आपरेटर के माध्यम से नवीन एजेंसी से अनुबंध होने तक डाटा इन्ट्री का कार्य कराया जाय।

जिले द्वारा प्रत्येक एजेंसी का मासिक मूल्यांकन पत्रक तैयार कर 15 तारीख तक परिषद मुख्यालय भेजा जाय। 3 माहो मे एजेंसी की प्रगति के प्राप्तांको का औसत 30 प्रतिशत से कम रहती है तो ऐसी ऐजेसी को मुख्यालय उस एजेंसी के कार्यकाल की प्रगति व स्पष्टीकरण के तथ्यों का परीक्षण उपरांत राज्य स्तर पर मूल्यांकन कर उसे काली सूचीबद्ध किया जावेगा। उक्त सूची से समय समय पर समस्त जिलों को अवगत कराया जायेगा। ऐसी एजेन्सी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अन्य कार्य नही दिया जावेगा। उसकी धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

**एजेंसी से अनुबंधः–** पूर्व में जनपद स्तर पर निविदा बुलाये जाने के निर्देश थे। इसमें भी संशोधन कि है एवं एक से अधिक विकासखण्ड में समूह बनाकर निविदा जिला स्तर पर बुलाई जाये। मुख्यालय आउटसोर्स हेतु निविदा प्रारूप में जिले अगर मासिक भुगतान के स्थान पर इन्ट्री आधारित भुगत अनुबंध करना चाहते हैं तो जिले एजेंसी के साथ अनुबंध करते समय शर्तो में संशोधन कर सकते हैं एजेंसी की शर्तो में विहित मूल्यांकन पद्धति को अनिवार्य रूप से रखा जाय।

माह अगस्त 2008 के बाद से एजेंसियों के नवीन अनुबंध में उपरोक्त शर्तो को सम्मिलित किया जाय।

3.4 **एजेन्सी की प्रगति का आंकलन एवं कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की बैकलाग डा इन्ट्री :–**

उक्त निर्देश वित्तीय वर्ष 2006–07 अथवा 2007–08 एजेंसी की **बैकलाग डाटा इन्ट्री** प्रगति का मूल्यांकन पर लागू होगें :–

उक्त आंकलन एजेंसी की नियुक्त दिनांक से कार्यरत दिनांक तक की जनपदवार एजेंसीवार फीड किये गये आनलाईन प्रगति के आधार पर होगा। एजेंसी की प्रगति का मूल्यांकन निम्नलिखित विहित प्रकिया से आवंटित किया जावेगा।

| क्रं. | मूल्यांकन के बिन्दु (जनपदवार व वित्तीय वर्ष) | लक्ष्य के विरूद्ध 100 प्रति. डाटा इन्ट्री करने पर आवंटित किये जाने वाले अंक | डाटा इन्ट्री करने एजेंसी को आवंटित किये जाने वाले अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | वित्तीय वर्षवार जनपद पर सृजित मानव दिवस | 65 | अनुपातिक प्रगति के आधार पर अधिकतम आवंटित अंको के विरूद्ध |
| 2 | कुल व्यय राशि लाख में | 15 | तदैव |
| 3 | ग्राम पंचायतों व लाइन विभागों जारी आवंटन राशि व आहरित राशि का विवरण | 10 | तदैव |
| 5 | पूर्ण कार्य | 10 | तदैव |

उदाहरण :– वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की प्रगति के विरूद्ध एम.आई.एस. डाटा इन्ट्री की प्रगति का आंकलन (एजेन्सी को आवंटित अंको की पद्धति) दिनांक से कार्यरत अवधि

| क्रं. | | प्रगति जिसकी डाटा इन्ट्री की जाना है | डाटा इन्ट्री | प्रगति के विरूद्ध डाटा इन्ट्री के आवंटित अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपद पर सृजित मानव दिवस लाख में | 20 | 10 | 32.5 |
| 2 | कुल व्यय राशि लाख में | 160 | 80 | 7.5 |
| 3 | ग्राम पंचायतों व लाइन विभागों को जारी आवंटन राशि व आहरित राशि का विवरण राशि लाख में | 200 | 0 | 0 |
| 5 | पूर्ण कार्य | 500 | 250 | 5 |
| | कुल प्राप्तांकों की गणना | | | 45 |

अगर एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक एजेन्सियों ने कार्य किया है तब उक्त मूल्यांकन कार्यरत अवधि के मान से किया जावे।
उपरोक्तानुसार एजेंसियों द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध की गई डाटा इन्ट्री के अंक का आवंटन किया जाय, उक्त मूल्यांकन प्राप्तांको की गणना अवधि में यदि अन्य विभागीय व्यय अथवा विभागीय माध्यम से कार्य कराया गया है तो उसे इस एजेंसी की इस प्रगति में सम्मिलित न किया जाय।

3.5. प्रत्येक जनपद कार्य के आकलन के आधार पर आवश्यक संसाधनों की गणना करेगा। आवश्यकता के अनुसार व अनुबंध शर्तो के अनुरूप अतिरिक्त सिस्टम व कम्प्यूटर आपरेटर्स उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी का आदेशित करेगा। एजेन्सी आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर आवश्यक संसाधन उपलबध करायेगी। ऐसा न करने पर उस पर कटोत्री मासिक प्रति आपरेटर प्रति की जा सकेगी।

4.1 जनपद द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कम्प्यूटर कक्ष में जनपद पर प्रातः 10 बजे से 8 बजे के मध्य अनिवार्य रूप से कम से कम 8 घण्टे विद्युत उपलब्ध रहे। इस हेतु जनपद द्वारा जनरेटर तथा उसका ईंधन उपलब्ध कराया जावेगा।

विद्युत न रहने के कारण प्रगति न आने पर जनपद पंचायत की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी एवं प्रत्येक जनपद पर यू.पी.एस. चालू हालत में हो एवं जनरेटर से सीधे पावर कम्प्यूटर पर न दिया जावे इस हेतु यू.पी.एस. की बैटरी आदि दुरूस्त करायी जावे।

4.2 प्रत्येक जनपद पर लेन के माध्यम से ही डाटा एन्ट्री की जावे तथा डाटाबेस को एक सर्वर पर ही रखा जावे। किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायतवार सर्वर न बनाया जावे। न ही ग्राम पंचायतवार डाटावेस तैयार किया जावे। प्रत्येक जनपद पर इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्यरूप से होना सुनिश्चित किया जावे। सर्वर पर अनिवार्यरूप से non-Pirated Antivirus installed किया जावे।

5.1 एम.आई.एस. साफॅटवेयर के माध्यम से माह सितम्बर 08 से एम.पी.आर. तैयार करने समयवद्ध कार्यकम तैयार कर विभिन्न कियान्वयन एजेन्सीयों एवं ग्राम पंचायतों से डाटा कलेक्शन कर जनपद एम.आई.एस. पर उपलब्ध कराया जाकर समय पर डाटा फीडिंग ,डाटा वैलिडेशन व अपलोडिग कराई जावे। एजेन्सियों को समयवद्ध डाटा उपलब्ध कराने एवे फीड डाटा का परीक्षण हेतु जिम्मेदारी निर्धारित की जावें। इस हेतु समयवद्ध कार्यकम अनुसार एम.आई.एस. हेतु मार्गदर्शन निर्देश संलग्न है।

6.1 डाटा की सत्यता का परीक्षण :— प्रत्येक जनपद पर एम.आई.एस. में फीड मस्टर रोल , कार्य की तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति , कार्य पर कुल व्यय , अन्य मदों पर कुल व्यय , ग्राम पंचायतों की कैशबुक , जावकार्डधारी की जानकारी आदि की वैधता की जांच करना अनिवार्य होगा। डाटा में त्रटि होने पर जनपद स्तर पर सुधार किया जावें अगर सुधार करना तकनीकी कारणों से संभव नही हो जो जिला अथवा परिषद मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

6.2 डेटा का बैकअपः— आउटसोर्स एजेंसी द्वारा फीड किये गये डाटा का नियमित रूप से साप्ताहिक बैकअप लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्वयं अपने पास रखेगें। ताकि आपात परिस्थिति में बैकअप डाटा को रिस्टोर किया जा सके। प्रत्येक जनपद का अद्यतन डाटाबेस बैकअप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में होना अनिवार्य है।

6.3 उपरोक्तानुसार डाटा परीक्षण इस हेतु निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जावें

100 प्रतिशत परीक्षण जनपद द्वारा

20 प्रतिशत जिले द्वारा

02 प्रतिशत राज्य स्तर पर

29

उपरोक्त निर्देशों का उद्देश्य है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 का एम.आई.एस. प्राथमिकता क्र जिससे एम.आई.एस. साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन एम.पी.आर. समय पर तैयार हो। बैकलाग वा 2006–07 एवं 2007–08 को द्वितीय प्राथमिकता क्रम में समय सीमा में पूर्ण करें। जनपद स्तर पर सकलि डाटा की वैधता सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला स्तर प सीनियर डाटा मैनेजर तथा जिला अधिकारी हैं। एजेंसियों के कार्यो का मासिक मूल्यांकन विहित रीति से किया जाय तथा मूल्यांकन अनुसार समय पर एजेंसियों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मूल्यांकन अनुसा कम अंक प्राप्त करने वाली एजेंसियों पर विहित रीति से कार्यवाही की जाय। समयबद्ध कार्यक्रमानुसार डाट कलेक्शन व डाटा इन्ट्री कर डाटा की सत्यता की नियमित जाँच की जाय, समस्त जनपदों पर एम.आई.एस पूरा करने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

संलग्न :– प्रपत्र 2 संख्या

20/10/08
( रश्मि अरुण शमी )
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. संभाग आयुक्त संभाग ..... (समस्त)।
2. एस.आई.आर.डी. जबलपुर।
3. वाल्मी।
4. ई.टी.सी. केन्द्र.....(समस्त)।

20/10/08
( रश्मि अरुण शमी )
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

# Annexure

## ग्राम पंचायतों एवं लाइन विभाग से जानकारी प्राप्त करने तथा उसको एम.आई.एस. करने की योजना

| क्र. | कार्य का नाम | डाटा कलेक्शन | डाटा एन्ट्री | डाटा वेलिडेशन एवं अपलोडिंग | एजेंसी को डाट उपलब्ध करा व डाटा वेलिडेशन हेतु जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोजगार की मांग करने वाले मजदूरों की जानकारी | ग्राम पंचायतों से प्रति सप्ताह | जानकारी प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर | सप्ताह में कम से कम 1 बार | ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत समन्वयक |
| 2 | जनपद से जारी मस्टर रोल | जनपद पंचायत से प्रति सप्ताह | तत्काल | तदैव | मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि |
| 3 | जनपद से जारी कार्यो की तकनीकी स्वीकृति | जनपद पंचायत से प्रति सप्ताह | तत्काल | तदैव | मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि |
| 4 | ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति | ग्राम पंचायत से प्रति सप्ताह | तत्काल | तदैव | ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत समन्वयक |
| 5 | जिले से जारी कार्यो की तकनीकी व प्रशासनिकी स्वीकृति | जिले से प्रति सप्ताह | तत्काल | तदैव | कार्यपालन यंत्री / परियोजना अधिकारी |
| 6 | जिले से ग्राम पंचायतो एवं लाइन विभागों को जारी आवंटन | आवंटन जारी होने से 2 दिवस के अंदर | तत्काल | तदैव | लेधाधिकारी जिला पंचायत |
| 7 | मजदूरों को कार्य पर आवंटन (उपयोग मस्टर रोल पर दर्ज मजदूरों की जानकारी की प्रति) | ग्राम पंचायतों से प्रति सप्ताह | जानकारी प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर | तदैव | ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत समन्वयक |
| 8 | भुगतान हुये मस्टर रोल | क्रियान्वयन एजेंसियों से मस्टर रोल की अवधि के एक सप्ताह के अंदर अथवा अधिकतम 15 दिवस | जानकारी प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर | तदैव | उपयंत्री संबंधित ग्राम पंचायत |